न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

निष्पादन वाद सं0–709 / 2023

रूबी कुमारी, पति–स्व0 बलेन्द्र सिंह, निवासी ग्राम–लौरा, थाना–तेजपुर, जिला–समस्तीपुर
.... डिक्रीधारक

वनाम

रिलांयस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द्वारा अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, द्वितीय तल, ग्रांड युनुस कार्पोरेट, सुकृति अपार्टमेंट के नजदीक, एस0पी0 वर्मा रोड, थाना गांधी मैदान, जिला पटना

.... विपक्षी

आदेश

16.02.2026 आज्ञाप्तिधारी की हाजिरी है। पुकार पर आज्ञाप्तिधारी के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा आज्ञाप्तिधारी की तरफ से दाखिल आवेदन दिनांक 23.07.2025 एवं 15.12.2025 को आज परिचालित करते हुए कथन किया गया है कि यह निष्पादन वाद दावा वाद संख्या 76 / 2016 में पारित पंचाट दिनांक 04.09.2018 के लिए लाया गया है, जिसमें निर्णीत ऋणी को निर्देश दिया गया था कि मो0 41,04,250 / – रुपए 7 प्रतिशत के ब्याज दर से आज्ञाप्तिधारी को एक माह के अंदर भुगतान करेंगे, परन्तु उनके द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन समयावधि के अंतर्गत नहीं किया गया है। निर्णीत ऋणी की उपस्थिति हेतु निर्गत सम्मन का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है और न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2025 के आदेशानुसार निणीत ऋणी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। निर्णीत ऋणी द्वारा आज तक डिक्रीधारक के पक्ष में पारित आदेश का अनुपालन नहीं किया है। ऐसी परिस्थिति में निर्णीत ऋणी का बैंक खाता संख्या 00600350093073, IFS Code-HDFC0000060, HDFC Bank, HDFC House, HT Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai-400020 है, उसमें 41,04,250 / – रुपए तथा उस पर धारित ब्याज की धनराशि को जब्त (Freeze) करने का आदेश दिया जाए।

सुना। अभिलेख का अवालेकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत निष्पादन वाद मोटर दुर्घटना दावा वाद संख्या–76 / 2016 में पारित पंचाट दिनांक 04.09.2018 के निष्पादन के लिए लाया गया है, जिसमें निर्णीत ऋणी को निर्देश दिया गया था कि मो0 41,04,250 / – रुपए 7 प्रतिशत के ब्याज दर से आज्ञाप्तिधारी को एक माह के अंदर भुगतान करेंगे, परन्तु उनके द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन समयावधि के अंतर्गत नहीं किया गया है तथा इस संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण उपस्थित होकर प्रस्तुत नहीं

<u>**न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना**</u>

निष्पादन वाद सं0–709/2023

लगातार

16.02.2026 किया गया है। प्रस्तुत मामला मोटर दुर्घटना दावा वाद में डिक्रीधारक के पक्ष में पारित क्षतिपूर्ति के आदेश के निष्पादन से संबंधित है, जिसमें निर्णीत ऋणी द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि का भुगतान नहीं किए जाने के कारण डिक्रीधारक को मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि डिक्रीधारक उक्त दावा वाद में दुर्घटना के कारण मृत बलेन्द्र शर्मा उर्फ बलेन्द्र कुमार उर्फ श्रीपति शर्मा के पत्नी एवं उनके बच्चे हैं, जो मृतक की मृत्यु के कारण आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में डिक्रीधारक की तरफ से दाखिल उपरोक्त आवेदन को स्वीकृत करते हुए निर्णीत ऋणी रिलायंस जनरल इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड का बैंक खाता संख्या 00600350093073, IFS Code-HDFC0000060, HDFC Bank, HDFC House, HT Parekh Marg, 165-166, Backbay Reclamation, Churchgate, Mumbai-400020 है, को जब्त (Freeze) करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय संबंधित बैंक के शाखा प्रबंधक को इस आशय का आदेश की प्रति के साथ पत्र निर्गत करें। वाद दिनांक 24.02.2026 को वास्ते सुनवाई एवं अग्रिम कार्रवाई हेतु।

लेखापित एवं सशोधित

(संगम सिंह)
जिला एवं अपर सत्रन्या0–प्रथम
पटना।

निर्णय/आदेश की तिथि	16.02.2026
निर्णय/आदेश आरक्षित करने की तिथि	07.02.2026
अपलोडिंग तिथि	19.02.2026
अपलोड किसके द्वारा किया गया	आशुलिपिक